UPM0010060142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

उपस्थित–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) I.D. No-UP1895

दाण्डिक विविध वाद सं0–343/2026

दयावती बनाम उ0प्र0 राज्य आदि।

20.07.2026

1– पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती तथा विपक्षी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 3बी, अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली में आज की तारीख वास्ते आदेश नियत है।

2– प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना–पत्र 3बी बमय शपथपत्र 4बी, इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 10.07.2008 को उसके साथ बुरी तरह से मार–पीट की थी, उसका मेडिकल भी हुआ था। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर उसके पति रिषीपाल द्वारा अदालत में धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने परिवाद में दर्ज कर लिया था। परिवाद पर उपलब्ध गवाहान के बयान पर सभी अभियुक्तगण को दिनांक 16.01.2009 को धारा–323,504,506 भा0 दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया था। अभियुक्तों के जमानत कराने के बाद पत्रावली धारा–244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य में लगी थी। उसके पति रिषीपाल सख्त बीमार हो जाने के कारण अदालत नहीं आ सके। वह अपने पति की देख भाल में लगी थी। उसके पति रिषीपाल की बीमारी के कारण दिनांक 20.08.2025 को मृत्यु हो गयी, उसके पति की मृत्यु के बाद उसने वकील साहब से अपने मुकदमे की तलाश करायी, तब वकील साहब ने दिनांक 27.04.2026 को नेट पर देखकर बताया कि आपके मुकदमे के सभी अभियुक्त दिनांक 19.03.2025 को उन्मोचित हो गये हैं और मुकदमा समाप्त हो गया है, उसने आदेश दिनांक 19.03.2025 की सत्य प्रतिलिपि लेने के लिए अपने वकील साहब से दिनांक 28.04.2026 को फौजदारी नकल सवाल नम्बर–131/28.04.2026 प्रस्तुत किया। प्रार्थिनी को दिनांक 29.04.2026 को निर्णय दिनांक 19.03.2025 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुयी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पता चला कि विचारण न्यायालय ने धारा–244 सीआर0पी0सी0 की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर ही अभियुक्तों को धारा–245 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत आरोपित अपराधों से उन्मोचित कर दिया गया है। उसने तुरन्त ही विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.03.

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.20 19:31:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2025 को अपास्त करने के लिए यह रिवीजन प्रस्तुत किया है। क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत करने में प्रार्थिनी ने जानबूझकर कोई भी देरी नहीं की है। रिवीजन प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 5 भारतीय अवधि परिसीमन अधिनियम, का लाभ प्रदान करते हुए योजित निगरानी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

3— पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती का प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रार्थिनी अपने बीमार पति की देख—भाल में व्यस्त रहने तत्पश्चात बीमारी के कारण उसके पति की मृत्यु दिनांक 20.08.2025 को हो जाने पर व्यस्त रहने के कारण उसे उक्त आदेश की जानकारी समय से नहीं हो पायी। प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है, बल्कि जो भी देरी हुई है, वह मात्र उसके पति की बीमारी की देख—भाल एवं तत्पश्चात मृत्यु हो जाने के कारण जानकारी के अभाव के कारण हुयी है। प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथपत्र के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अखण्डनीय होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय लचीला रूख अपनाना चाहिये तथा न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण गुण—दोष के आधार पर किये जाने हेतु अग्रसर होना चाहिये। उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुये 331 दिन के विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक प्रार्थना—पत्र के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विपक्षीगण को हुई कठिनाई का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विपक्षीगण को हर्जा दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना—पत्र 3बी, अर्न्तगत धारा 5 भारतीय अवधि परिसीमन अधिनियम, मु0—1000/—(एक हजार) रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दाण्डिक निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए 331 दिन के विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी को समय सीमा के अन्तर्गत तसव्वुर किया जाता है। दाण्डिक निगरानी, वास्ते सुनवाई अंगीकरण दिनॉक 04.08.2026 को पेश हो।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

दिनांक—20.07.2026

स्टेनो—राजीव,